

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी
विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :

विषय :-मुंगेर जिलान्तर्गत संचालित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, मुंगेर में 03 Piece Commercial R.O, 03 Piece Fire extinguisher, 01 Piece Water tank alarm (with wire) and 01 Piece Fire ball के क्रय हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मशीनें एवं उपस्कर मद से ₹1,77,400/- (एक लाख सतहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र के व्यय हेतु उपावंटन के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

- राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की योजना है। अधिकांश जिलों में छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित है। अल्पसंख्यक छात्रावासों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत उपस्करों का अधिष्ठापन का प्रावधान है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर के द्वारा अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, मुंगेर में 03 Piece Commercial R.O, 03 Piece Fire extinguisher, 01 Piece Water tank alarm (with wire) and 01 Piece Fire ball के क्रय हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मशीनें एवं उपस्कर मद से ₹1,77,400/- (एक लाख सतहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र के व्यय हेतु उपावंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- वास्तविक दर का निर्धारण वित्तीय नियम के प्रावधान के अनुसार नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाय तथा वस्तु के क्रय की बचत से दूसरे वस्तु की कमी को पूरा करके खर्च किया जा सकेगा।
 - राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष -277- शिक्षा उपशीर्ष-0101- अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण विपत्र कोड 30-4225042770101 विस्तृत शीर्ष-52-मशीनें एवं उपस्कर विषय शीर्ष- 02-मशीनें एवं उपस्कर-अन्य, मांग संख्या-30 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
 - इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर होंगे तथा इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
 - वित्त विभाग के पत्रांक-7355/वि० दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
 - इस राशि की निकासी हेतु CFMS से आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा।
 - इस योजनान्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक-4989/वि० (2) दिनांक-16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में अपेक्षित होगा।
 - बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अधीन निहित प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य होगा।

9. सामग्रियों का क्रय GeM Portal के माध्यम से किया जायेगा।
10. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन किया जायेगा।
11. इस राशि का विचलन अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
12. जिस कार्य हेतु राशि उपवांटित की गई है, उसी कार्य में राशि का व्यय किया जायेगा।
13. स्वीकृत्यादेश में वर्णित राशि पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- अ०स०क०-०९-०९-म०-०४/२०२६

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- अ०स०क०-०९-०९-म०-०४/२०२६

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी/जिला कौषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ई-मेल

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- अ०स०क०-०९-०९-म०-०४/२०२६

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ई-मेल

1. इस राशि की निकासी के पश्चात् कुल दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय होने के पश्चात् अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2. सामग्री आपूर्ति के पश्चात् जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा सामग्रियों की भौतिक रूप से गुणवत्ता की जाँचोपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् ही भुगतान किया

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- अ०स०क०-०९-०९-म०-०४/२०२६

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक- 13/08/26

ज्ञापांक- अ०स०क०-०९-०९-म०-०४/२०२६ 276

प्रतिलिपि:- वरीय प्रभारी, बजट शाखा/आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-निदेशक

13/8